न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

गत अपील संख्याः–92 / 2009
नवीन अपील संख्याः–118 / 2017
जी.सी.एम.एस .संख्याः–2009 / 00020

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मनमोहन पुत्र गोरया जाति मीना निवासी डिबस्या तहसील गंगापुर सिटी जरिये मुख्तयार खास धनफूल पुत्र परसादी जाति मीना निवासी जीवली तहसील गंगापुर सिटी। (फौत) नामहजफ
   1 / 1. दिनेश चन्द मीना पुत्र स्व0 श्री मनमोहन
2. धनफूल पुत्र श्री परसादी जाति मीना निवासी जीवली तहसील गंगापुर सिटी।
3. कुम्हेर पुत्र हरगोविन्द जाति मीना
4. प्रेमप्रकाश जोशी पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा

उपस्थितः–

1. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।
2. श्री रामदयाल त्रिवेदी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 / 1।
3. श्री अरविंद गर्ग अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02।
4. श्री इस्लाम खान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03।
5. श्री प्रेमप्रकाश जोशी (स्वयं) रेस्पोडेन्ट संख्या 04।

––:: निर्णय ::––

दिनांकः–28.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 132 / 2007 बउनवान मनमोहन बनाम लैण्ड होल्डर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2009 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी मनमोहन ने जरिए मुख्त्यार खास धनफूल पुत्र परसादी निवासी जीवली एक दावा अदालत मातहत मे इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी को गत खसरा नंबर 576/1 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, 578 , 579 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा 576/5 रकबा 08 बिस्वा वाके ग्राम डिबस्या मे 27.11.1971 को नियमन हुआ था। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कब्जा होने के बावजूद वादी के पक्ष मे हुए नियमन को राजस्व रिकार्ड मे नामान्तकरण नही खोला और विवादित आराजीयात अभी भी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत मे वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया कि वादी कि नियमन शुदा भूमि हाल खसरा नंबर 1125 वाके ग्राम डिबस्या को खातेदार घोषित किया जावे और प्रतिवादी तहसीलदार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल न करे। अदालत मातहत द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दावा दिनांक 16.02.2009 को डिक्री किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर 28 वर्ष बाद दावा पेश किया गया है। सही तथ्य यह है कि वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नंबर 576/1 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, 578 , 579 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा 576/5 रकबा 08 बिस्वा वाके ग्राम डिबस्या जो कि वादी के पक्ष मे नियमन किया गया था, के संबंध मे वादी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करवाते हुए वादी मनमोहन के पक्ष मे वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नंबर 1127 रकबा 1.08 है0 भूमि का सहायक भू–अधिकारी द्वारा खसरा परिशोधन तस्दीक किया गया। उपर्युक्त साबिक खसरा नंबरान के एवज मे हाल खसरा नंबर 1127 रकबा 1.08 है0 का इन्द्राज सेटलमेंट खतौनी मे मनमोहन के नाम दर्ज कर दिया गया। मातहत अदालत मे उक्त तथ्यों को वादी द्वारा छिपाते हुए हुए नया दावा पेश कर भूमि खसरा नंबर 1125 रकबा 1.14 है0 किस्म सिवायचक सरकारी भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि यह खसरा नंबरान साबिक खसरा नंबर 576, 577, 578, 579 से बना है। रेस्पोडेन्ट का इस आराजी से कोई संबंध नही हैं। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री खारिज किया जावे।

अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ पेश किया गया । जिसके संक्षिप्त तथ्य यह है कि अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी 14.07.2009 को दिनेश पुत्र जौहरीलाल जाति महाजन द्वारा इस आराजीयात से संबंधित राजस्व रिकार्ड की सत्यता जानने के लिए तहसील मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से हुई। जानकारी से अपील म्याद अंदर म्याद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. धारा 05 के प्रार्थना पत्र निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राज0 द्वारा निगरानी टीए/913/2012/सवाई माधोपुर बउनवान मनमोहन बनाम सरकार मे निर्णित किया जा चुका है।
6. मुख्य बहस मे श्री पैरोकार सरकार द्वारा अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मनमोहन ने खसरा नंबर 1127 मे से 81 एयर भूमि को जरिये रजि0 विकय पत्र श्री नारायण मीना को विकित की जा चुकी है। शेष भुमि आज भी मनमोहन के खाते मे दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट बदयान्ति पूर्वक चालाकी से राजकीयत सिवायचक भुमि हडपना चाहते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय व डिकी दिनांक 16.02.09 को खारिज फरमाई जावे।
7. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा तथ्यों एवं रिकार्ड के आधार पर सही फैसला किया गया है। पैरोकार सरकार अदालत मातहत मे पैरवी नही की गई न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया था। अपील खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने कथन किया कि अदालत मातहत मे वादी द्वारा वादपत्र हाल आराजी खसरा नंबर 1125 का दावा पेश किया गया है परन्तु न्यायालय हाजा मे अपीलांट द्वारा आराजी खसरा नंबर 1127 मे भी वाद से संबंधित उल्लेख किया है। अतः जब आदेश मे खसरा नंबर 1127 बाबत् कोई निर्णय ही नही है तो अब अपील मे इन तथ्यों को अपने बचाव पक्ष मे नही ले सकता। अतः अपील खारिज की जावे। प्रार्थी/अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04 द्वारा कथन किया गया कि सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी मे कुम्हेर पुत्र हरगोविन्द रेस्पोडन्ट संख्या 03 द्वारा यह कथन बयानों मे अंकित करवाया है कि उसका विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1125 से उनका कोई संबंध नही है बल्कि उनका संबंध तो खसरा नंबर 1127 से है। अतः 1127 पर कोई निर्णय पारित नही किया जावे। क्योंकि विवादित ही नही है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।
परन्तु अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा जवाब बहस मे कथन करते हुए पैरोकार सरकार के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।
8. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
9. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि नामान्तकरण पंजिका डिबस्या तहसील गंगापुर के नामान्तकरण संख्या 250 दिनांक 04.04.74 के द्वारा साबिक खसरा नंबर 576/1, 577, 578, 579 और 576/5 मे **नियमन** से संबंधित नामान्तकरण की कार्यवाही का अंकन है इस से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आराजियात का नियमन हुआ था। फर्द मिलान क्षेत्रफल संवत 2039 वाके ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुर के **नियमनशुदा** साबिक खसरा नंबर 576/1 रकबा 01 बीघा 19

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बिस्वा, 577,578 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, 579 रकबा 04 बिस्वा व 576/5 रकबा 08 बिस्वा के **हाल** खसरा नंबर 1127 रकबा 1.08 है0 बने है। हाल खसरा नंबर 1125 रकबा 1.14 है0, साबिक खसरा नंबर 576 मिन0, 577, 578, 579 से बना है। जो जमाबंदी संवत् 2020–2023 मे सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

खतौनी जमाबंदी सवंत 2039 भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुर मे आराजी खसरा नंबर 1127 रकबा 1.08 है0 मनमोहन पुत्र गोरया कौम मीना सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। इसी प्रकार जमाबंदी 2062 वाके ग्राम डिबस्या मे खसरा नंबर 1127 रकबा 0.2700 है0, मनमोहन पुत्र गौरया मीना के नाम व शेष आराजीयात खसरा नंबर 1847/1127 रकबा 0.81 है0 श्रीनारायण पुत्र फैलू के नाम दर्ज रिकार्ड हैं।

उपर्युक्त रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी को नियमन साबिक खसरा नंबर 576/1, 577, 578, 579 और 576/5 के हाल खसरा नंबर 1127 रकबा 1.08 है0 बने है और यह हाल खसरा नंबर खतौनी जमाबंदी सवंत 2039 भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुर मे आराजी खसरा नंबर 1127 रकबा 1.08 है0 पूर्व मे ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी मनमोहन पुत्र गोरया कौम मीना सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए हाल खसरा नंबर 1125 रकबा 1.14 है0, साबिक खसरा नंबर 576 मिन0, 577, 578, 579 से बना है। जो जमाबंदी संवत् 2020–2023 मे सिवायचक दर्ज रिकार्ड है, के संबंध मे वादपत्र बदयान्ति पूर्वक पेश किया गया है क्योंकि जिस साबिक आराजी का नियमन रेस्पोडेन्ट संख्या01/वादी के पक्ष मे किया जाकर हाल खसरा नंबर 1127 रकबा 1.08 है0 उसकी खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर भी उसमे से भी खसरा नंबर 1847/1127 रकबा 0.81 है0 श्रीनारायण पुत्र फैलू को विक्रय कर दिया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत से तथ्यों को छिपाकर जो डिक्री प्राप्त की गई है वह आरम्भ से ही शून्य है, विधि विरूद्व है, अपास्त योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 132/2007 बउनवान मनमोहन बनाम लैण्ड होल्डर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2009 को अपास्त किया जाता है। पैरोकर सरकार को विवादग्रस्त हाल आराजीयात वाके ग्राम डिबस्या के आराजी खसरा नंबर 1125 रकबा 1.14 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि उक्त आराजीयात का रेस्पोडेन्टगण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड है तो उसे कलमजन करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

11. पत्रावली को फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर किया जावे। आदेश आज दिनांक 28.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. मनमोहन पुत्र गोरया जाति मीना निवासी डिबस्या तहसील गंगापुर सिटी जरिये मुख्तयार खास धनफूल पुत्र परसादी जाति मीना निवासी जीवली तहसील गंगापुर सिटी। (फौत) नामहजफ
   1/1. दिनेश चन्द मीना पुत्र स्व0 श्री मनमोहन
2. धनफूल पुत्र श्री परसादी जाति मीना निवासी जीवली तहसील गंगापुर सिटी।
3. कुम्हेर पुत्र हरगोविन्द जाति मीना
4. प्रेमप्रकाश जोशी पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा

गत अपील संख्याः–92/2009
नवीन अपील संख्याः–118/2017 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः–2009/00020 दिनांक 28.07.2023
अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी बौंली

यह अपील व तारीख 28.07.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री पैरोकार सरकार व हाजरी श्री रामदयाल त्रिवेदी, श्री अरविंद गर्ग, श्री इस्लाम खान व प्रेमप्रकाश जोशी एड. मिनजानिब रेस्पो. के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 132/2007 बउनवान मनमोहन बनाम लैण्ड होल्डर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2009 को अपास्त किया जाता है। पैरोकर सरकार को विवादग्रस्त हाल आराजीयात वाके ग्राम डिबस्या के आराजी खसरा नंबर 1125 रकबा 1.14 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि उक्त आराजीयात का रेस्पोडेन्टगण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड है तो उसे कलमजन करने का आदेश दिया जाता है।

मुहर राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

Sd/- 28/07/23
हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner